



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-

120008 निगरानी -2952/2018/भ्रू/भूर

गिरदावल शर्मा पुत्र हरिहरप्रसाद शर्मा, निवासी-ग्राम  
अतरसूमा, हाल निवासी-जोशी नगर, इटावा रोड, भिण्ड  
तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)---आवेदक

श्री 200 को न्यायालय  
द्वारा आज दि. 14-5-18  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 6-6-18 निगमा।

बनाम

1. चक्रपान शर्मा पुत्र श्री हरिहरलाल शर्मा
2. मुंशीलाल शर्मा पुत्र हरिहरलाल शर्मा दोनों जाति ब्राह्मण,  
निवासी-ग्राम अतरसूमा, हाल निवासी-जोशी नगर  
इटावा रोड भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

---अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 न्यायालय 9 (आर.बी.  
प्रजापति) अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक-184/  
2015-26 अपील में पारित आदेश दिनांक-01.03.2018 विधि विरुद्ध होने से  
निगरानी प्रस्तुत की गई है।

माननीय न्यायालय,


निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता का गिरदावल शर्मा  
पुत्र हरिहरप्रसाद निवासी-ग्राम अतरसूमा, हाल जोशीनगर इटावा रोड भिण्ड ने सर्वे  
94, 179, 245, 381, 384, 655, 676/1, 676/3, 679 779, 821, 880, 885, 981,  
986, 996, 998 के बटवारे हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो  
पंजीबद्ध होकर प्रकरण में इस्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन में कोई आपत्ति नहीं  
आई तो मौजा पटवारी द्वारा आवेदक व अनावेदकगण के हस्ताक्षरयुक्त सहमति के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2952/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/05/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता को समय-समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई, किंतु फिर भी कोई उपस्थित नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	